

**बाल सभा गतिविधि(2023-24)**  
**“संस्कृत श्लोक संगीत प्रतियोगिता”**  
**अंतर्सदनीय गतिविधि**  
**(निर्णायक चक्र)**

तिथि -28 अगस्त 2023(निर्णायक चक्र)

कक्षा - I व II

विषय -श्लोक संगीत प्रतियोगिता

समय - अष्टम एवं नवम कालांश

गतिविधि स्थल : संगीत कक्ष (निर्णायक चक्र हेतु)

माध्यम - संस्कृत

“वाणी में जो मृदुता भर दे, वह है संस्कृत भाषा,  
शुष्क हृदय भावों से भर दे, वह है संस्कृत भाषा”

नियम-

- निर्णायक चक्र हेतु हाउस प्रतिनिधि कक्षा अनुसार प्रारम्भिक स्तर पर चयनित छात्रों की सूची तैयार कर प्रत्येक सदन से किन्हीं तीन(कक्षा तीसरी,चौथी एवं पाँचवीं से) विद्यार्थियों के नाम निर्णायक चक्र हेतु सुनिश्चित करेंगे तथा साथ ही प्रत्येक सदन एवं प्रत्येक कक्षा(कक्षा तीसरी,चौथी एवं पाँचवीं से) से एक अन्य विद्यार्थी भी निर्णायक चक्र हेतु तैयार करेंगे ताकि चयनित छात्र की अनुपस्थिति होने पर दूसरा छात्र निर्णायक चक्र में प्रतिभागी बन सके। 20 अगस्त 2023 तक यह सूची संयोजकों को प्रदान की जाएगी।इस प्रक्रिया में हाउस प्रतिनिधि का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।
- चयनित प्रतिभागी को निर्णायक चक्र हेतु दिनांक 28 अगस्त 2023 को विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- गतिविधि विद्यालय की वेशभूषा में ही सम्पन्न होगी।
- कक्षा अध्यापिका द्वारा प्रारम्भिक चक्र में साझा किए श्लोकों को ही विद्यार्थियों को कंठस्थ कर निर्णायक चक्र में लयात्मक रूप से पुनः सुनाना होगा।
- प्रदर्शन का मूल्यांकन सुनिश्चित किए गए मानदंडों के आधार पर न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा।
- हाउस प्रतिनिधि गतिविधि की फोटो रिकॉर्ड हेतु रखेंगी एवं विद्यार्थियों के प्रस्तुतिकरण का रिकॉर्ड नॉमिनल पर लिखकर संयोजक को सौंपेगी।
- प्रदर्शन का मूल्यांकन सुनिश्चित किए गए मानदंडों के आधार पर न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा।
- न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- संयोजक निर्णायक चक्र के एक सप्ताह के भीतर सदन समन्वयकों को उचित प्रारूप में विधिवत अनुमोदित अंतिम परिणाम देंगे।
- हाउस प्रतिनिधि चयनित किए गए प्रतिभागियों और विजेता सदन का रिकॉर्ड भी रखेंगे।
- मूल्यांकन बिन्दु -
- आत्मविश्वास
- प्रस्तुतिकरण
- लयात्मकता
- उच्चारण
- भाषा प्रवाह

संयोजिका:

श्रीमती सुमना सेन गुप्ता

श्रीमती दीपा चतुर्वेदी

सूचनार्थ :

सदन प्रतिनिधि

पर्यवेक्षक:

श्रीमती विनया पुजारी

प्रधानाध्यापिका (प्राथमिक विभाग )